# Part-V

(To be filled by the secretary in charge of Forest Department or by any other authorized officer of the state Government not below the rank of Under Secretary)

| S.No. | | |
|---|---|---|
| 18 | Recommendation of the State Government:-<br>(Adverse comments made by any officer or authority in Part-B or Part-C or Part -D above should be specifically commented upon) | प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स) कोरिया संभाग मनेन्द्रगढ़ के कोरिया जिले के कोरिया वनमंडल अंतर्गत अमरपुर से चिरमिरी मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण कार्य में कुल 10.469 हे. वनभूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन प्रस्ताव पर राज्य शासन द्वारा स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है। |

Date : 21 -11-2019

Place : Raipur

Signature

(Manoj Kumar Pingua)
Principal Secretary
Government of Chhattisgarh
Department of Forest
Mantralaya, Chhattisgarh

Name - Manoj Kumar Pingua

Designation - Principal Secretary,
C.G. Govt.,
Forest Department

# छत्तीसगढ़ शासन
## वन विभाग
## मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

क्रमांक / एफ 5–18 / 2019 / 10–2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 21 / 11 / 2019

प्रति,

**अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (क्षे0),**
भारत सरकार, पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
ग्राऊंड फ्लोर (ईस्टर्न विंग), न्यू सेक्रेटेरियेट बिल्डिंग,
व्ही.सी.ए. स्टेडियम के सामने सिविल लाईन,
नागपुर (महाराष्ट्र)–440001 ।

विषयः– Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act 1980 proposed for Amarpur to Chirmiri Road Widening & Upgradign area 10.469 ha.

संदर्भः– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) का पत्र क्रमांक / भू–प्रबंध / विविध / 115–705 / 2782 दिनांक 11.11.2019 ।

–––00–––

कृपया विचाराधीन पत्र का सहपत्रों सहित अवलोकन करने का कष्ट करें।

2/– विषयांतर्गत विचाराधीन पत्र के माध्यम से वन संरक्षण अधिनियम 1980 के दिशा–निर्देशों तथा नवीन चेक लिस्ट अनुसार अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) द्वारा अनुशंसा उपरांत वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अतर्गत प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। जिसका संक्षिप्त विवरण (Brief) निम्नानुसार है

| बिंदु क्र | विवरण | पृष्ठ सं |
|---|---|---|
| 1 | <u>आवेदक विभाग का मांग पत्र –</u><br>**कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स) कोरिया संभाग मनेन्द्रगढ़ द्वारा जिला एवं वनमंडल कोरिया अंतर्गत अमरपुर से चिरमिरी मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण कार्य में कुल 10.469 हे. वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोजन हेतु नवीन चेक लिस्ट अनुसार वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत व्यपवर्तन की मांग की गई है।** | 01 |
| 2 | <u>प्रपत्र I में रजिस्ट्रेशन कोड (वर्ष / पंजीयन क्रमांक)</u><br>**आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्ताव में शासन के आदेशानुसार वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत अमरपुर से चिरमिरी रोड उन्नयन कार्य एवं चौड़ीकरण कार्य में कुल 10.469 हे. वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोजन हेतु आवेदक नोडल कार्यालय में आनलाईन प्राप्त हुआ है। आवेदक संस्थान द्वारा पंजीयन एवं प्रसंस्करण शुल्क रू. 24,000/– जमा कराया गया है। आन लाईन क्रमांक FP/CG/Road/ 8090/ 2014 आबंटित है।** | **02 से 11 एवं 11ए, 11बी** |

| | | |
|---|---|---|
| | | 12 |
| 3 | **वन क्षेत्र का विवरण –**<br>प्रस्तावित अमरपुर से चिरमिरी मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण कार्य में संरक्षित वन 3.031 हे. आरक्षित वन 7.321 हे. एवं राजस्व वन 0.117 हे. कुल वन भूमि 10.469 हे. वन भूमि प्रभावित हो रही है। | 13 |
| 4 | **गैर वन क्षेत्र का विवरण –**<br>प्रस्तावित अमरपुर से चिरमिरी मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण कार्य में तह. बैकुण्ठपुर ग्राम अमरपुर एवं टेंगनी में खसरा क्रमांक 700, 209, 236, 193, 147 एवं 33 में कुल 4.41 हे. गैर वन भूमि प्रभावित हो रही है, जो राजस्व अभिलेख में सड़क रास्ता मद दर्ज है। यूजर एजेंसी द्वारा दिया गया विवरण संलग्न है। | 14 एवं 268, 269 |
| 5 | **प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1: 50000 स्केल पर –**<br>प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मानचित्र संलग्न है। साथ ही एफ.एम.आई. एस द्वारा जारी एवं वन मंडलाधिकारी, कोरिया वनमंडल, बैकुण्ठपुर द्वारा सत्यापित वन आवरण मानचित्र भी लगाया गया है। | 15 से 17 |
| 6 | **वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप –**<br>वन क्षेत्र का इंडेक्स मैप संलग्न है। | 18 से 23 |
| 7 | **प्रपत्र – 4 में प्रस्ताव –**<br>प्रपत्र – 4 में परियोजना की प्रशासकीय लागत 2178.70 लाख रू. बतायी गई है। यूजर एजेंसी ने कथन किया है कि प्रस्ताव में न्यूनतम वन क्षेत्र की मांग की गई है तथा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। मार्ग की कुल लंबाई 12.40 कि. मी. है जिसमें से वन क्षेत्र में मार्ग की लंबाई 8.627 कि. मी. है और चौड़ाई 12 मीटर रखी गई है। राजस्व क्षेत्र में 3.773 कि.मी मार्ग आवेदक संस्थान द्वारा बनाया जा चुका है | 24 से 42 |
| 8 | **प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप –**<br>19 पृष्ठीय टीप यूजर एजेंसी द्वारा दी गई है। तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सरगुजा परिक्षेत्र अंबिकापुर द्वारा जारी की गई है जो प्रस्ताव पृष्ठ 26 पर लगा है। | 43 |
| 9 | **वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि जमा करने का वचन पत्र–**<br>यूजर एजेंसी का वचन पत्र संलग्न है। | 44 से 46 |
| 10 | **न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र –**<br>यूजर एजेंसी का प्रमाण पत्र संलग्न है। पूर्व से स्थापित मार्ग में ही चौड़ीकरण का कार्य किया जाना है। प्रस्तावित वन भूमि परियोजना के लिये अपरिहार्य एवं न्यूनतम है – इस आशय का कथन वन मंडलाधिकारी कोरिया ने चेक लिस्ट क्र. 26 के अंतर्गत प्रपत्र–भाग 2 के बिन्दु 13 पर किया है। | |

| | | |
|---|---|---|
| 11 | **पर्यावरण संरक्षण स्वीकृत प्रमाण पत्र –**<br>यूजर एजेंसी का कथन है कि पर्यावरण स्वीकृति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है चूँकि भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसार के बिन्दु क्रमांक 7 एफ में उल्लेखित विवरण के अंतर्गत प्रस्तावित मार्ग नहीं है।<br>नोडल कार्यालय का कथन है कि बिन्दु 7 एफ अनुसार 30 कि.मी से अधिक की लंबाई के राष्ट्रीय राजमार्ग या राज्य राजमार्ग होने पर उनमें चौड़ीकरण का कार्य करने पर ही पर्यावरण स्वीकृति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। चूँकि इस प्रकरण में लंबाई 12.40 कि.मी ही है अतः पर्यावरण स्वीकृति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। | 47 से 64 |
| 12 | **वृक्ष विदोहन विवरण (प्रपत्र – अ एवं ब में) –**<br>अमरपुर से चिरमिरी मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि के अंतर्गत विदोहित किये जाने वाले वृक्षों की संख्या 562 नग प्रस्तावित है। वृक्षों के प्रजातियों की एक पृष्ठीय सूची प्रस्ताव पृ. 65 पर लगी है। | 65 से 73 |
| 13 | **कास्ट बेनिफिट एनालिसिस –**<br>प्रस्ताव 20 हे. के कम होने के कारण कास्ट बेनिफिट एनालिसिस की आवश्यकता नहीं है। आवेदक संस्थान ने CBA लगाते हुए CB Ratio 1:3.64 दर्शित किया है। | 74 से 79 |
| 14 | **चयनित गैर वन क्षेत्र/निजी भूमि (पंचशाला खसरा की नकल, मानचित्र, सक्षम अधिकारी का हस्तांतरण आदेश) –**<br>**राजस्व वन क्षेत्र** – प्रस्ताव में आवेदित क्षेत्र में प्रभावित 10.469 हे. वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोजन के बदले क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु समतुल्य राजस्व भूमि ग्राम ढोढीबहरा, तह. बैकुण्ठपुर अंतर्गत खसरा नं. 185 रकबा 14.40 हे. में से कुल 10.469 हे. क्षेत्र पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित की गई है। कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला कोरिया द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 26.06.2018 प्रदाय किया गया है। प्रस्तावित भूमि का खसरा–पंचशाला एवं मानचित्र सहित अनापत्ति प्रमाण संलग्न है। कुल 10.469 हे. क्षेत्र पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिये स्थल उपयुक्तता का प्रमाण पत्र वन मंडलाधिकारी कोरिया द्वारा जारी किया गया है जो प्रस्ताव पृष्ठ 163 ए पर देखा जा सकता है। | 80 से 84 |
| 15 | **गैर वन क्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शा –**<br>क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित 10.469 हे. राजस्व भूमि की डी.जी.पी.एस. सर्वे रिपार्ट संलग्न है। | 85 से 118 |
| 16 | **स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना –**<br>प्रस्ताव में आवेदित क्षेत्र में प्रभावित 10.469 हे. वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोजन के बदले क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु समतुल्य राजस्व भूमि ग्राम ढोढीबहरा, तह. बैकुण्ठपुर अंतर्गत खसरा नं. 185 रकबा 14.40 हे. में से कुल 10.469 हे. क्षेत्र पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित की गई है। कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला कोरिया द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 26.06.2018 प्रदाय किया गया है। कुल 10.469 हे. क्षेत्र पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिये स्थल उपयुक्तता का प्रमाण पत्र वन मंडलाधिकारी कोरिया द्वारा जारी किया गया है जो प्रस्ताव पृष्ठ 163 ए पर देखा जा सकता है। समतुल्य राजस्व भूमि 10.469 हे. का उच्च तकनीकी (सिंचित) वृक्षारोपण 10 वर्षीय मय उपचार मानचित्र सहित योजना तैयार कर प्रस्ताव में संलग्न है। स्वीकृति उपरांत तत्समय लागू दर से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की राशि आवेदक संस्थान से ली जायेगी। | 119से 160 |

| | | |
|---|---|---|
| 16 | **स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना –**<br>प्रस्ताव में आवेदित क्षेत्र में प्रभावित 10.469 हे. वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोजन के बदले क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु समतुल्य राजस्व भूमि ग्राम ढोढीबहरा, तह. बैकुण्ठपुर अंतर्गत खसरा नं. 185 रकबा 14.40 हे. में से कुल 10.469 हे. क्षेत्र पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित की गई है। कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला कोरिया द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 26.06.2018 प्रदाय किया गया है। कुल 10.469 हे. क्षेत्र पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिये स्थल उपयुक्तता का प्रमाण पत्र वन मंडलाधिकारी कोरिया द्वारा जारी किया गया है जो प्रस्ताव पृष्ठ 163 ए पर देखा जा सकता है। समतुल्य राजस्व भूमि 10.469 हे. का उच्च तकनीकी (सिंचित) वृक्षारोपण 10 वर्षीय मय उपचार मानचित्र सहित योजना तैयार कर प्रस्ताव में संलग्न है। स्वीकृति उपरांत तत्समय लागू दर से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की राशि आवेदक संस्थान से ली जायेगी। | |
| 17 | **वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र –**<br>वन मंडलाधिकारी कोरिया द्वारा हस्ताक्षरित कुल 10.469 हे. राजस्व भूमि का वृक्षारोपण उपयुक्तता प्रमाण पत्र प्रस्ताव पृष्ठ 163 ए पर दर्शित है। | 161से163 |
| 18 | **अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यो का विवरण –**<br>वन मंडलाधिकारी कोरिया के अनुसार वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया गया है। | 164 |
| 19 | **अधिनियम उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण–**<br>लागू नहीं। | 165 |
| 20 | **अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध प्रस्तावित कार्यवाही –**<br>लागू नहीं। | 166 |
| 21 | **वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र –**<br>प्रस्ताव पृष्ठ 167 अनुसार गैर वनभूमि अनुपलब्धता प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकरण में समतुल्य राजस्व क्षेत्र 10.469 हे. में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण किया जाना है। | 167 |
| 22 | **कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान –**<br>प्रस्ताव पृष्ठ 168 अनुसार कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान की आवश्यकता नहीं है। आवेदक संस्थान के प्रमाण पत्र पर वन मंडलाधिकारी कोरिया द्वारा भी हस्ताक्षर किया गया है। | 168 |
| 23 | **रिक्लेमेशन प्लान –**<br>प्रस्ताव खनन से संबंधित न होने के कारण रिक्लेमेशन प्लान की आवश्यकता नहीं है। | 169 |
| 24 | **माईनिंग प्लान IBM नागपुर द्वारा अनुमोदित (केवल खनन प्रकरण में) –**<br>प्रस्ताव खनन से संबंधित न होने के कारण माईनिंग प्लान की आवश्यकता नहीं है। | 170 |

| | | |
|---|---|---|
| | आवेदक संस्थान का कथन है कि प्रस्ताव अंतर्गत पूर्व से ही निर्मित मार्ग का चौड़ीकरण एवं उन्नयन का कार्य किया जाना है जिसमें किसी भी ग्रामीणों का विस्थापन नहीं किया जायेगा। अतः व्यवस्थापन प्लान की आवश्यकता नहीं है। | 171 |
| 26 | **वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र I से IV तक) –**<br>भाग–2 पर वन मंडलाधिकारी कोरिया द्वारा स्थल निरीक्षण के उपरांत प्रस्ताव की स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। वन मंडलाधिकारी के प्रतिवेदन अनुसार साईट क्वालिटी मिक्स IVb क्वालिटी का वन स्थित है। वनो का घनत्व 0.5 से कम है। आवेदित क्षेत्रों में कुल 562 वृक्ष दर्शाये गये है। मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा के संदर्भ पत्र दिनांक 14.06.2019 में उल्लेख किया गया है कि 562 वृक्षों का विदोहन किया जायेगा। प्राकृतिक पुनरूत्पादन की स्थिति प्रचुर है। प्रस्तावित वन भूमि परियोजना के लिये अपरिहार्य एवं न्यूनतम है। भाग–3 पर मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त, अम्बिकापुर द्वारा वन मंडलाधिकारी कोरिया वनमंडल के सुझाव से सहमत होते हुए जनहित में प्रस्ताव की अनुशंसा की गई है। | 65 एवं 172 से 17 |
| 27 | **ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण पत्र –**<br>प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र ऐतिहासिक महत्व स्थल नहीं है जिससे संबंधित वन मंडलाधिकारी कोरिया एवं यूजर एजेंसी का संयुक्त प्रमाण पत्र संलग्न है। | 179 |
| 28 | **संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र –**<br>प्रस्तावित क्षेत्र में प्रभावित 10.469 हे. वन एवं राजस्व वन दूरी 12.40 कि.मी. अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत–पोटेडांड का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है। | 180 एवं 81 |
| 29 | **जिले की कुल वन भूमि (रकबा हे. में) –**<br>कोरिया वन मंडल में कुल वन भूमि 1778.222 वर्ग कि.मी. है। वनमंडलाधिकारी कोरिया का प्रमाण पत्र संलग्न है। | 182 |
| 30 | **व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों मे प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे. में –**<br>कोरिया वन मंडल के अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत स्वीकृत 31 प्रकरणों में प्रभावित वन भूमि 1843.831 हे. है। | 183 |
| 31 | **व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों मे इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा हे. में –**<br>स्वीकृत प्रकरणों मे इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि निरंक दर्शित है। | 184 |
| 32 | **प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी –**<br>आवेदित वन भूमि के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्य प्राणी अभ्यारण्य या हाथी कोरीडोर या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति नहीं है। वन मंडलाधिकारी कोरिया एवं यूजर एजेंसी का संयुक्त प्रमाण पत्र संलग्न है। | 185 |
| 33 | **15 कि.मी. परिधि के नक्शे में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों का चिन्हांकन –**<br>खनन प्रकरण नहीं है। अतः इनकी आवश्यकता नहीं है। | 186 |

| | | |
|---|---|---|
| 34 | **<u>वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र –</u>**<br>आवेदित क्षेत्र के लिये कलेक्टर कोरिया द्वारा दिनांक 26.08.2017 को वन अधिकार संबंधी प्रमाण पत्र जारी किया गया है। वन अधिकार संबंधी प्रमाण पत्र के साथ अनुविभाग अधिकारी (राजस्व) बैकुण्ठपुर जिला कोरिया छ.ग. द्वारा जारी अनुविभागीय स्तरीय वन अधिकार समिति का कार्यवाही विवरण एवं ग्राम पंचायत पोटेडांड का भी कार्यवाही विवरण संलग्न है। | |
| 35 | **<u>राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र –</u>**<br>अमरपुर से चिरमिरी मार्ग उन्नयन हेतु एवं चौडीकरण में 10.469 हे. वनभूमि प्रभावित हो रही है जिसमे 0.117 हे. राजस्व वन है। राजस्व वनभूमि के गैर वानिकी परियोजन हेतु व.सं.अ. 1980 के तहत् व्यपवर्तन हेतु कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कोरिया द्वारा दिनांक 02.02.2013 को अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया है। | 194 से 195 |
| 36 | **<u>माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र –</u>**<br>यूजर एजेंसी द्वारा दिया गया वचन पत्र संलग्न है। | 196 |
| 37 | **Clearance under FC Act, 1980: Deposition of funds with the Ad-hoc CAMPA: Remittances to precede 2nd stage clearance –**<br>यूजर एजेंसी द्वारा दिया गया वचन पत्र संलग्न है। | 197 |
| 38 | **<u>detailed note on Soil Productivity or the lack of it –</u>**<br>प्रस्तावित क्षेत्र से भूमि की उर्वरकता हेतु मिट्टी का परीक्षण सहायक मिट्टी परीक्षण अधिकारी से कराया गया है जिसकी मिट्टी नमूना जांच रिपोर्ट संलग्न की गई है। | 198 से 200 |
| 39 | **<u>परियोजना की किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र</u>**<br>वन भूमि में किसी प्रकार का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं करने का प्रमाण पत्र यूजर एजेंसी द्वारा दिया गया है । | 201 |
| 40 | **<u>Diversion of large area (more then 500 ha.) of forest land for mining and other non-forestry purposes under the Forest (Conservation) Act 1980 –</u>**<br>केवल 500 हे. से अधिक के प्रकरण में लागू है। अतः आवश्यकता नहीं है। | 202 |
| 41 | **<u>पंजीयन क्रमांक–पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण –</u>**<br>बिन्दु क्रमांक 2 अनुसार विवरण पुनः दिया गया है। | 203 |
| 42 | **<u>वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत –</u>**<br>वन मंडलाधिकारी, कोरिया वनमंडल द्वारा वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग की अनुशंसा की गई है। यह खनन प्रकरण नहीं है तथा 10 कि.मी की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्य प्राणी अभ्यारण्य, हाथी कोरीडोर भी स्थित नहीं है। वन मंडलाधिकारी एवं यूजर एजेंसी का संयुक्त प्रमाण पत्र संलग्न है कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य प्राणी के अभिमत की आवश्यकता नहीं है। | 204 |

| | | |
|---|---|---|
| 43 | **विद्युत लाईन से संबंधित प्रकरणों में एक स्थल से दूसरे स्थल तक टावर ले जाने का मानचित्र तथा तीन विकल्प में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण –**<br><br>प्रस्ताव विद्युत लाईन से संबंधित नहीं है। | 205 |
| 44 | **प्रस्ताव मे अन्य (Misc) कमियों का विवरण –**<br><br>**अ)** वनस्पति मानचित्र एवं वन प्रकार वार मानचित्र संलग्न है।<br><br>**ब)** प्रस्तावित क्षेत्र का डी.जी.पी.एस. सर्वे रिपोर्ट संलग्न है। | 206 से 272 |

**3/–** प्रकरण भारत शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है तथा समस्त प्रचलित संबद्ध नियमो/दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के website www.parivesh.nic.in पर अपलोड किया गया है।

4/– वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के मार्गदर्शिका के सिद्धांतों के अनुरुप सभी औपचारिकताए पूर्ण कर Diversion प्रस्ताव प्रधान मुख्य वन संरक्षक की अनुशंसा (प्रपत्र–4) (पृष्ठ क्र 178 A) के उपरांत 1 प्रति में संलग्न प्रेषित है। राज्य शासन की अनुशंसा प्रपत्र–5 में निम्न शर्त के अधीन दिया जाना प्रस्तावित है :–

"भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नागपुर द्वारा प्रकरण में प्रथम चरण सशर्त अनुमति में वन्यप्राणी संरक्षण/संर्वधन हेतु वन्यप्राणी प्रबंधन योजना तथा यदि कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट प्लान हेतु शर्त अधिरोपित की जाती है तो उसके अनुरुप आवेदक संस्थान स्वयं के खर्च पर कार्य करेगा ।"

कृपया उपरोक्त प्रेषित प्रस्ताव पर औपचारिक स्वीकृति प्राप्त कर अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नः– प्रस्ताव 1 प्रति में ।

21-11-19

**(गणवीर धम्मशील)**
उप सचिव
छत्तीसगढ शासन, वन विभाग

पृष्ठां.क्रमांक/एफ 5–18/2019/10–2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 21/11/2019

प्रतिलिपि :–

1. **अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध),** कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़ ।
2. **मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा** वृत्त, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़।
3. **वन मंडलाधिकारी** कोरिया, वन मंडल कोरिया, छत्तीसगढ़।
4. **कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण संभाग, कोरिया, मनेन्द्रगढ़, छ.ग.।**

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

21-11-19

**उप सचिव**
छत्तीसगढ शासन, वन विभाग